

1982 के 24.12.19 को पेश हो

डिविजनल कमिश्नर
बोधपुर

24/12/19

अपीलान्ट व रस्ता के रुकित व फटा उपस्थित
उपस्थित रुकित व फटा को भी पत्र सुनी
गयी। बाद हुक्मा के पत्रावली जारी हेतु
दिनांक 1-1-19 को पेश हो

डिविजनल कमिश्नर
बोधपुर

ओमप्रकाश
Ade
G.A

1.1.19

पत्रावली पेश हुई निर्णय सरे इजलास सुनाया गया तथा
पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर पत्रावली के संलग्न किया
गया। निर्णयानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा
अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि मे से त्रुटिवश
बिलानाम दर्ज भूमि को पुनः अपीलान्ट के खातेदारी मे अंकित
करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से
कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की सत्य
प्रति के साथ पुनः लौटायी जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिविजनल कमिश्नर, बोधपुर

आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम वाडाखेडा पटवार क्षेत्र गोल तहसील